उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 13/2015/वे0आ0-2-257/दस-2015

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-226/दस-09-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 02 फरवरी, 2009 तथा संख्या-वे0आ0-2-227/दस-09-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 02 फरवरी, 2009 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अन्तर्गत गठित वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के वरिष्ठ परामर्शदाता (वेतन बैण्ड -3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/-) तथा शोध अधिकारी (वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/-) के पद सृजन के दिनांक 31 मार्च, 2011 अथवा सम्बन्धित पद पर कार्यरत पदधारक द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से क्रमश: रू0 1650/- तथा रू0 1500/- प्रतिमाह की दर से सचिवालय विशेष भत्ता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-65 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन के नाम डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या- 13/2015/वे0आ0-2-257(1)/दस-2015, तददिनांका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) आहरण वितरण अधिकारी, वेतन समिति, उ0प्र0 शासन।
(4) लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, मुख्य सचिव समिति (दो प्रतियों में)।
(5) कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in